



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247034
CG-DL-E-05072023-247034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2815]
No. 2815]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

का.आ. 2940(अ).—यतः, केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिससे जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 4) द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान की जाए;

और, यतः, केंद्रीय सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों के अतिरिक्त फ्लू क्युर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों के फ्लू क्युर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का निपटान तम्बाकू बोर्ड के प्राधिकृत नीलामी प्लेटफार्मों पर किया जाए;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2022-2023 के फसल सीजन के दौरान नीलामी में उक्त अधिनियम की धारा 14 ए की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रावधानों की प्रक्रिया में छूट प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्युर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की अतिरिक्त पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों के फ्लू क्युर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की अप्राधिकृत पैदावार की तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी प्लेटफार्मों पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी (एग्री-VI)/पीटी.]

राजेश अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2023

S.O. 2940(E).—WHEREAS, the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (Act 4 of 1975);

AND, WHEREAS, the Central Government considers it necessary in the public interest to dispose of the excess flue cured virginia tobacco of registered growers and flue cured virginia tobacco of unregistered growers at the authorised auction platforms of the Tobacco Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30, of the Tobacco Board Act, 1975, the Central Government in the public interest hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the State of Andhra Pradesh for the auctions during the crop season 2022-2023, and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and unauthorised flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

RAJESH AGRAWAL, Addl. Secy.